यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून के माह अक्टूबर 2011 से नवम्बर 2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.12.2016 से 07.01.2017 तक श्री दिनेश कुमार पिपलानी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः**

इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विकास ध्यानी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री खूब चंद, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.10.2011 से 19.10.2011 तक श्री राजेश गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह अप्रैल 2009 से सितंबर 2011 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह अक्टूबर 2011 से नवमबर 2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा जाति तथा विकलांगो के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु सस्ती ब्याज दरो पर ऋण उपलब्ध करना।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय* की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वित्त वर्ष / विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (दिसंबर 2016 तक)
प्रारम्भिक अवशेष	4301.77	4672.51	5433.75	6231.88	6817.26	7193.12
आवंटन	0	0	0	0	0	0
(i) राज्यान्श	502.77	623.94	516.71	656.90	550.22	0
(ii) केंद्रान्श	108.01	500.00	760.00	0	0	0
(iii) अन्य(FDR पर ब्याज)	339.89	374.38	416.58	505.65	523.59	162.57
(iv) अन्य (बचत खातों का ब्याज)	7.23	6.48	4.45	7.64	13.10	4.10
(v) इकाईयों से वसूली की प्राप्त धनराशि	238.31	206.95	92.71	270.13	226.08	157.83
योग	5497.98	6384.26	7224.20	7672.20	8130.25	7517.62
व्यय	825.47	950.51	992.32	854.94	937.13	193.50
शेष	4672.51	5433.75	6231.88	6817.26	7193.12	7324.12

***नोट : चूंकि निगम की बैलेन्स शीट वित्तीय वर्ष 2005-06 तक की बनायी गयी थी । वर्ष 2006-07 की बैलेन्स शीट बनाये जाने की कार्यवाही लेखापरीक्षा तिथि तक गतिमान थी। लेखापरीक्षा तिथि तक वर्ष 2006-07 से वर्तमान तक बैलेन्स शीट नहीं बनाई गयी थी। अत: ऊपर तालिका में दर्शाये गए आंकड़े provisional हैं, जिनका बैलेन्स शीट के final होने के पश्चात परिवर्तन संभव है ।**

(iii) इकाई "A" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. प्रबंध निदेशक
2. महाप्रबंधक

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह दिसम्बर 2014 व नवम्बर 2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 19 एवं कंपनी एक्ट 1956 की धारा 619(3)(b) व व कंपनी एक्ट 2013 की धारा 143 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
---------- शून्य ----------		
10/01 to 03/04	1,2,3,4,5	1,2,3
04/04 to 03/05	1,2,3,4,5	1,2,3
04/05 to 03/07	1	1,2,3,4
04/07 to 03/08	1,2	1,2,3,4
04/08 to 09/09	1,2,3	1 to 14
04/09 to 09/11	1,2,3	1 to 6

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
---------- शून्य ----------				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग दो (अ)

प्रस्तर-1: शासनादेश के विपरीत योजनाओ की धनराशि को सावधि जमा के रूप में जमा कर रु 23.23 करोड़ धनराशि ब्याज का अर्जन किया जाना एवं अर्जित ब्याज की धनराशि से निगम के संचालन व्यय (स्थापना, कार्यालय एवं अन्य व्यय) पर धनराशि रु 12.72 करोड़ व्यय करना।

प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, के शासनादेश सं 99/xxvii (14)/2009 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 के अनुसार सरकार द्वारा राज्य की योजनाओ के पोषण हेतु भारी मात्रा में धनराशि उच्च ब्याज दर पर लेकर संबन्धित विभागो को विकास योजनाओ हेतु उपलब्ध करायी जाती है। सरकारी प्रतिष्ठानो, परिषदों, निकायों आदि में समेकित निधि से आहरित धनराशियों को तत्काल संबन्धित योजना में उपयोग करने के बजाय विभिन्न बैंकों अथवा सावधि जमा (फिक्स डिपॉज़िट) के रूप में रखा गया है। शासन द्वारा यह भी स्पष्ट निर्देश दिये गए थे कि यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो तो ऐसी धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक 0049-ब्याज प्राप्तियाँ 04 में जमा किया जाए । इसके साथ ही निगम के Memorandum of association एवं article of association के प्रस्तर 57: Specific Powers of Board के उप प्रस्तर (5) (b): के अनुसार Board has power to invest the funds of the company.

उत्तराखंड बहुउद्देशिये वित्त एवं विकास निगम कार्यालय के लेखा अभिलेखों की जांच में देखा गया कि कार्यालय द्वारा विभिन्न राज्य एवं केंद्र सरकार से योजनाओ की मदों में प्राप्त धनराशि को निगम स्थापना से लेखापरीक्षा अवधि (दिसम्बर 2016) तक कार्यालय के अंतर्गत संचालित 22 (वर्तमान में संचालित 15) बैंक खातों के माध्यम से सावधि जमा के रूप में जमा कर उन पर ब्याज अर्जित किया जा रहा था । चूंकि ये बैंक खाते, बचत खाते के रूप में संचालित थे इन खातों में रखी अवशेष धनराशि पर भी प्रति वर्ष ब्याज अर्जित हो रहा था । निगम द्वारा वर्ष 2011-12 से 2016-17 (दिसम्बर 2016) तक सावधि जमा के रूप में प्रति वर्ष औसतन रु 58.34 करोड़ की धनराशि सावधि जमा किए गए । निगम द्वारा वर्ष 2011-12 से 2016-17 (दिसम्बर 2016 तक) में सावधि जमा पर रु 23.23 करोड़ का ब्याज एवं इसी अवधि में बचत खातों पर बैंक ब्याज के रूप में रु 38.90 लाख की धनराशि अर्जित हुई । लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि सावधि जमा एवं वर्षवार बचत खातों पर अर्जित ब्याज से निगम द्वारा वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक निगम के बोर्ड द्वारा अनुमोदित धनराशि रु 12.72 करोड़ का संचालन व्यय (स्थापना, कार्यालय एवं अन्य व्यय पर) किया गया । निगम को अपने स्थापना, कार्यालय एवं अन्य व्यय, निगम कि अपनी अर्जित धनराशि अर्थात निगम द्वारा ऋण के रूप में दी गयी धनराशि पर ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि से किया जाना था न की योजनाओ की धनराशि को सावधि जमा के रूप में रख कर उन पर अर्जित किए गए ब्याज की धनराशि से, इसके साथ ही शासनादेश के अनुसार अर्जित ब्याज की धनराशि को शासकीय खाते में जमा किया जाना अपेक्षित था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संदर्भ में इंगित किए जाने पर वित्त एवं विकास निगम द्वारा उत्तर में कहा गया कि निगम द्वारा बैंकों में जमा धनराशियों पर अर्जित ब्याज की धनराशि शासकीय खाते में जमा नहीं कराई गयी है । निगम को शासन द्वारा निगम के संचालन हेतु कोई धनराशि प्रदान नहीं की जाती है, इसके साथ ही निगम के ऋणों की वसूली पर्याप्त न होने के फलस्वरूप सावधि जमा के रूप में बैंक में रखी गयी धनराशि पर अर्जित ब्याज से निगम के संचालन व्यय किये गए ।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि योजनाओ की धनराशि को सावधि जमा के रूप में जमा कर रु 23.23 करोड़ धनराशि के ब्याज का अर्जन किया जाना एवं अर्जित ब्याज की धनराशि से निगम के स्थापना एवं अन्य व्यय पर धनराशि रु 12.72 करोड़ व्यय करना न केवल शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों का उल्लंघन था बल्कि निगम के Memorandum of association एवं article of association के प्रस्तर 57: Specific Powers of Board के उप प्रस्तर (5) (b) का भी उल्लंघन था जिसमे यह स्पष्ट उल्लिखित था कि Board केवल company के fund invest कर सकता है, जबकि यह धनराशि योजनाओ कि थी न की company की । अत: ब्याज की धनराशि शासन को वापस न कर निगम के संचालन पर व्यय किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'अ'

प्रस्तरः-2- विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय निगमों से प्राप्त ऋण धनराशि के सापेक्ष वसूली लम्बित रहने के कारण ` 13.40 करोड की क्षति।

शासनादेश (दिनांक 25 अक्टूबर 2001) द्वारा उत्तराखण्ड बहुउद्शीय वित्त एवं विकास निगम लि0 का गठन किया गया ताकि राज्य में निवास करने वाले बी.पी.एल. परिवारों, अनुसूचित जाति के लोगों, अनुसूचित जनजाति के लोगों, पिछड़ी जाति के लोगों, अल्पसंख्यक जाति के लोगों, विकंलाग जनों एवं सफाई कर्मचारियों के लोगों को आर्थिक उत्थान के क्रम में प्रदेश के लाभार्थियों को बैंको के सापेक्ष सस्ती ब्याज दरों पर ऋण धनराशि प्राप्त हो सकें।

संबधित लेखा अभिलेखों की जांच में सम्प्रेक्षा द्वारा पाया कि राष्ट्रीय निगमों से ऋण प्राप्ति हेतु शासन द्वारा उत्तराखण्ड बहुउद्शीय वित्त एवं विकास निगम को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (SCA) नामित कर सभी राष्ट्रीय निगमों के बीच अनुबधं निष्पादित किया, निष्पादित अनुबंध के शर्तोनुसार राष्ट्रीय निगमों से प्राप्त ऋण धनराशि के सापेक्ष ऋण वापसी हेतु निर्धारित ब्याज दर से 3 प्रतिशत ज्यादा लाभार्थियों से ब्याज की वसूली किया जाना प्रावधानित था ताकि अधिकतम 24 किस्तों (त्रिमासिक) में राष्ट्रीय निगमों को ऋण धनराशि (मूलधन+ब्याज सहित) की वापसी कर, वसूली किये गये अधिक ब्याज धनराशि से निगम का सफल संचालन किया जा सकें। राष्ट्रीय निगमों से ऋण धनराशि प्राप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 करोड़ की स्टेट गारण्टी की सुरक्षा भी प्रदान की गयी थी। राज्य के 13 जनपदों के लक्षित वर्गो को जनपदवार चयनित लाभार्थियों को ऋण प्रदान हेतु राष्ट्रीय निगमों से 2002-03 से 2016-17 (दिसम्बर तक) की अवधि के दौरान कुल ` 21.60 करोड़ की धनराशि प्राप्त की गयी थी जिसके सापेक्ष ` 19.02 करोड़ धनराशि का ऋण वितरण किया गया था। ऋण के रूप में वितरित धनराशि ` 19.02 करोड सापेक्ष वर्ष 2002-03 से 2016-17(दिसम्बर तक) तक लाभार्थियों से ` 13.40 करोड़ की वसूली लम्बित थी। लेखापरीक्षा द्वारा आगे पाया गया कि ` 13.40 करोड़ की वसूली, लाभार्थियो से नहीं होने के कारण, ` 8.35 करोड़ की धनराशि निगम द्वारा अपने संसाधनों से राष्ट्रीय निगम को वापस की गयी तथा ` 5.05 करोड़ की देयता अवशेष थी जिसे राष्ट्रीय निगम को वापस किया जाना शेष था। लेखापरीक्षा द्वारा पुनः पाया कि निगम (स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसी) द्वारा निधार्रित अनुबंध की शर्तोनुसार ना तो effective monitoring cell का मुख्यालय स्तर पर गठन किया गया ना ही वसूली हेतु जनपद स्तर व मुख्यालय स्तर पर शतप्रतिशत नोटिस/आर.सी. जारी किया गया ना ही ऋण प्राप्त लाभार्थियों से वसूली हेतु ऋण प्राप्त लाभार्थियों से लिए गये Post dated cheque को बैंक में जमा कर विधिक कार्यवाही की गयी ना ही जमानतदारों से वसूली संबंधी ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की

गयी जो विभागीय उदासीनता का घोतक हैं परिणामस्वरूप वर्ष 2002-03 से 2016-17(दिसम्बर तक) तक, कुल ` 13.40 करोड़ की वसूली लम्बित रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर निगम द्वारा बताया गया कि वसूली हेतु पर्याप्त प्रयास यथाः नोटिस पेषण, व्यक्तिगत सम्पर्क एवं कतिपय मानकों में आर. सी. जारी करने के पश्चात भी उक्त धनराशि की वसूली नहीं हो सकी। उक्त धनराशि वसूली हेतु जनपदों एवं निगम मुख्यालय द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहें है। निगम मुख्यालय द्वारा सीधे भी नोटिस जारी किये गये है। राष्ट्रीय निगमों से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वितरित धनराशि वर्ष 2002-03 से 2016-17 (दिसम्बर तक) तक कोई हानि या क्षति हुई है या नहीं अभी तक इसका कोई आंकलन नहीं किया गया है। अवशेष धनराशि के वसूली के प्रयास किये जा रहें है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम द्वारा वसूली हेतु शत्प्रतिशत नोटिस./आर. सी प्रेषण नहीं किया गया ना ही वसूली हेतु effective monitoring cell का गठन कर, ऋण प्राप्त लाभार्थियों के विरूद्ध कोई ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की गयी। इस प्रकार, लम्बे समय अंतराल के बाद भी वितरित ऋण धनराशि की वसूली करने में निगम पूर्णतः विफल रहा परिणामस्वरूप कुल ` 13.40 करोड़ की वसूली लम्बित रहने के बावजूद, राष्ट्रीय निगम को अपने संसाधनों से भुगतानित ` 8.35 करोड की धनराशि करने के कारण निगम को प्रत्यक्ष रूप से ना सिर्फ हानि उठाना पड़ा बल्कि शेष ` 5.05 करोड़ की अतिरिक्त देयता राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा।

इस प्रकार विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय निगमों से प्राप्त ऋण धनराशि के सापेक्ष वसूली लम्बित रहने के कारण ` 13.40 करोड की क्षति रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'अ'

प्रस्तर-3- वित्तीय मानकों के विपरित दूसरे विभाग को आवंटित धनराशि ` 1.39 करोड़ का अनियमित रूप से निगम द्वारा आहरित कर बैंक में रख कर, व्यय धनराशि का रख रखाव निगम की रोकड़ बही में किया जाना।

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय बारह, बजट के सापेक्ष वास्तविक की निगरानी और व्यय पर नियंत्रण, के प्रस्तर 92 (i व ii) एवं 93 के अनुसार, नियंत्रक/संवितरण अधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व हैः

- वित्तीय औचित्य के मानकों को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करे कि अपने नियंत्रण में रखी गई अनुदान का उपयोग उसी उदेश्य के लिए व्यय हो जिसके लिए प्राप्त हो,
- स्वयं और अपने अधीनस्थ के द्वारा सभी वित्तीय नियमों और विनिमयों का पालन सुनिश्चित करें,
- इसके अलावा, संवितरण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय करने के लिए प्रारंभिक शर्तो को संतुष्ट करता हो अर्थात् सक्षम प्राधिकारी की मजूंरी मौजूद हो और व्यय की जाने वाली धनराशि उसके नियंत्रण में हो।

निगम (UBVVN) के माह मार्च 2016 की रोकड़ बही (Tally) की विस्तृत जांच में पाया गया कि निदेशक जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड को विशेष केंद्रीय सहायता- जनजाति उप योजनान्तर्गत कौशल विकास कार्यक्रम हेतु ` 1,39,59,800 की आवंटित धनराशि को निदेशक जनजाति कल्याण के निर्णय के अनुसार उत्तराखण्ड बहूउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम की संचालित बचत खाता संख्या 44220001010015 में हस्तानान्तरित (17.03.2015) किया गया तथा संबन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में आगे पाया गया कि उत्तराखण्ड बहूउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा उक्त धनराशि को जमा किए जाने हेतु नैनीताल बैंक में एक पृथक बैंक खाता (खाता सं. 101200000001422) खोलकर जमा किया गया। इस योजनान्तर्गत निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा किए गए व्यय के सापेक्ष दिये गए मांग पत्र demand letter के अनुसार उत्तराखण्ड बहूउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा अपने यहां ना सिर्फ इस योजना हेतु खोले गए बैंक खाते से cheque द्वारा भुगतान किया गया बल्कि बाद में निगम की रोकड़ बही में प्रविष्ठी कर व्यय धनराशि को भुगतान दर्शाया गया, जो वित्तीय नियमों का घोर उल्लंघन हैं।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि निगम के प्रबंध निदेशक जो तत्समय निदेशालय अनुसूचित जनजाति के निदेशक भी थे के

निदेशानुसार ` 1.39 करोड़ निगम के बैंक में रखा गया तथा उनके द्वारा मांगपत्र के अनुसार धनराशि निदेशालय अनुसूचित जनजाति को प्रेषित की गयी। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि निगम के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दूसरे कार्यालय को आवंटित धनराशि को ना सिर्फ आहरित कर निगम के बैंक में अनियमित रूप से जमा की गयी थी बल्कि दूसरे कार्यालय के द्वारा व्यय धनराशि को निगम के रोकड़बही में वित्तीय मानकों के विपरित दर्शाया गया जबकि संवितरण अधिकारी द्वारा उनके नियत्रंण में सिर्फ आंवटित व व्यय किये धनराशि को निगम के रोकड़ बही में रख-रखाव किया जाना अपेक्षित था।

इस प्रकार, वित्तीय मानको के विपरित दूसरे विभाग के आवंटित धनराशि ` 1.39 करोड़ का अनियमित रूप से निगम द्वारा आहरित कर बैक में रखकर, व्यय धनराशि को रोकड़बही में रख-रखाव किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-1: धनराशि रु 24.14 करोड़ की लंबित वसूली ।

निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, राज्य एवं केंद्र से विभिन्न योजनाओ हेतु प्राप्त धनराशि से राज्य के कमजोर एवं निर्बल व्यक्तियों को कम ब्याज दर पर रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना है । निगम द्वारा ऋण के रूप में दी गयी धनराशि पर योजनावार, निर्धारित दर पर ब्याज वसूल किया जाता है ।

निगम के लेखा अभिलेखों की जांच में देखा गया कि निगम की स्थापना से वर्ष 2016-17 (नवम्बर 2016 तक) निगम द्वारा राज्य एवं केन्द्र की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 11208 लाभार्थियों (राज्य योजनाओ के अंतर्गत 9489 एवं केंद्रीय योजनाओ के अंतर्गत 1719) को रु 3110.25 लाख की धनराशि वितरित की गयी । लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि वितरित धनराशि के सापेक्ष मात्र रु 1777.24* लाख ही वर्तमान तक वसूल किए जा सके। नवम्बर 2016 तक इन लाभार्थियों से ब्याज सहित रु 2414.14** लाख वसूल किए जाने शेष थे। लाभार्थियों को राज्य एवं केंद्र संचालित योजनाओ के अंतर्गत जनपदवार, लाभार्थीवार वितरित, वसूल एवं लंबित धनराशियों का विवरण निम्नवत था :

(धनराशि रु लाख में)

जनपद का नाम	राज्य की संचालित योजनाएँ					केंद्र की संचालित योजनाएँ				
	योजनाओं की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	वितरित धनराशि	वसूल धनराशि	वसूली हेतु अवशेष धनराशि (ब्याज सहित)	योजनाओं की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	वितरित धनराशि	वसूल धनराशि	वसूली हेतु अवशेष धनराशि (ब्याज सहित)
देहरादून	08	1076	181.71	41.49	206.90	06	343	398.42	150.97	456.20
हरिद्वार	07	1629	171.16	23.73	211.50	06	201	65.56	30.48	66.99
चमोली	05	276	72.65	35.47	53.02	06	63	96.25	71.86	51.23
टिहरी	07	285	57.65	16.86	51.62	06	148	209.44	103.95	201.42
पौड़ी	07	267	58.57	31.83	41.49	06	55	58.70	67.75	21.95
उत्तरकाशी	07	798	168.85	7.04	92.24	06	58	125.68	97.89	86.74
रुद्रप्रयाग	05	405	40.65	37.12	38.49	05	64	71.57	69.65	26.03
नैनीताल	04	1292	171.20	117.56	103.75	06	166	113.75	108.08	63.96
बागेश्वर	04	846	106.19	57.04	69.28	06	63	86.19	70.51	64.83
पिथोरागड़	04	424	66.25	49.41	23.83	06	54	92.05	106.71	8.99
अल्मोड़ा	07	643	121.02	80.19	63.18	06	52	97.85	96.86	76.50
ऊधमसिंह नगर	08	1346	163.10	101.28	103.72	06	428	233.95	141.78	200.80
चम्पावत	07	202	45.38	33.54	14.92	06	24	36.46	28.19	14.56
योग	**08**	**9489**	**1424.38**	**632.56**	**1073.94**	**06**	**1719**	**1685.87**	**1144.68**	**1340.2**

इस प्रकार धनराशि रु 2414.14 लाख 11208 लाभार्थियों से वसूल किया जाना लंबित था ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर वित्त एवं विकास निगम द्वारा उत्तर में कहा गया कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रभावित राज्य है, वर्ष 2013 में राज्य के अधिकांश भाग आपदा से ग्रस्त होने के कारण वसूली प्रभावित हुई है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी समय-समय पर देवीय आपदा/सूखाग्रस्त होने के कारण वसूली स्थगित रखी जाती है। जिस कारण निगम द्वारा वितरित ऋणों की वसूली प्रभावित होती है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा मात्र वर्ष 2013 में ही आपदा होने के कारण कुछ समय के लिए वसूली स्थगित की थी, उसके पश्चात वसूली की जानी अपेक्षित थी, जो निगम द्वारा नहीं की गयी।

अत: धनराशि रु 24.14 करोड़ की लंबित वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

* 1777.24 = 632.56 + 1144.68

** 2414.14 = 1073.94 + 1340.20

भाग दो (ब)

प्रस्तर-2: शिल्पी ग्राम योजना में प्रशिक्षण कार्य के लिए प्राप्त धनराशि रु 749.98 लाख निगम के बचत/सावधि खाते में रखना एवं विगत तीन वर्षो से योजना का क्रियान्वयन पूरी तरह से निष्क्रिय रहना ।

शिल्पी ग्राम योजना के अंतर्गत शिल्पी ग्रामो का चिंहांकन कर उनके प्रचलित शिल्प को पुनर्जीवित एवं विकसित करने हेतु विभिन्न शिल्पों में प्रदान किया जाना है। शिल्पी ग्राम योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य दूरस्थ ग्राम जहाँ परंपरागत शिल्पों यथा: मूर्तिकला, काष्ठकला, बांस एवं रेशा, ताम्रकला, स्वर्णकार, बढईगिरी, टिन स्मिथ, कंघी बनाना, ऊनी उद्योग, कुम्हारगिरी, मोमबत्ती बनाना, कृषि यंत्र बनाना आदि में लगे अर्द्धकुशल/ अकुशल शिल्पी अध्यासित हैं, को चिन्हित कर ग्राम के दक्ष मास्टर ट्रेनर के माध्यम से अथवा गैर सरकारी संस्था जो शिल्प प्रशिक्षण देने हेतु पूर्णरुपेण सक्षम है, के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना था । प्रशिक्षणोपरांत पात्र बेरोजगारों को संबन्धित व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु वित्त पोषण भी किया जाना है। शिल्पी ग्राम योजना में निगम के अंतर्गत योजना प्रारम्भ से वर्ष 2015-16 तक वर्षवार धन आवंटन व व्यय का विवरण निम्नवत था :

(रु लाख में)

वर्ष	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2004-05	81.17	0.00	13.26	0.00
2005-06	536.00	101.50	135.00	63.50
2006-07	0.00	37.40	0.00	20.00
2007-08	52.00	0.00	100.00	1.50
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.60	0.00	0.00
2010-11	10.00	0.00	10.00	6.80
2011-12	10.00	27.90	10.00	0.00
2012-13	10.00	8.25	10.00	0.00
2013-14	10.00	0.00	10.00	0.00
2014-15	10.00	0.00	10.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**719.17**	**175.65**	**298.26**	**91.8**
शेष धनराशि		**543.52**		**206.46**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि निगम द्वारा कुल धनराशि रु 1017.43 लाख में से धनराशि रु 276.45 लाख (आवंटन का लगभग 27%) व्यय किए गए व धनराशि रु 749.98 (543.52 + 206.46) लाख शेष है। आगे जांच में पाया गया कि वर्ष 2005-06 में कुल रु 671 लाख आवंटित हुये थे। जिसका अभी तक (2015-16) पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका है। इसके बावजूद भी 2006-07 से 2015-16 तक धनराशि के आवंटन हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजे जा रहे हैं व सरकार द्वारा धन आवंटन किया जा रहा था । योजना के प्रारम्भ से (2004-05 से) 2015-16 तक के कुल 12 वर्षो में अनुसूचित जाति में 7 वर्ष व

अनुसूचित जनजाति में 8 वर्ष कोई भी प्रशिक्षण का कार्य नहीं हुआ है व विगत तीन वर्षो में (2013-14 से 2015-16 तक) योजना का क्रियान्वयन पूरी तरह से निष्क्रिय है। योजना के अंतर्गत योजना प्रारम्भ से 2015-16 तक कुल 6907 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर वित्त एवं विकास निगम द्वारा उत्तर में कहा गया कि प्रशिक्षण हेतु पूर्व निर्गत दरो में संशोधन (भवन किराया में वृद्धि, आकस्मिक व्यय में वृद्धि, प्रशिक्षक के मानदेय में वृद्धि, प्रशिक्षणार्थियों हेतु जलपान हेतु निर्धारित धनराशि में वृद्धि, कच्चा माल क्रय मद में वृद्धि का समावेश करते हुए संशोधन) का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था जो वर्तमान तक अप्राप्त है जिसके कारण योजना का क्रियान्वयन पुरानी दरों पर प्रशिक्षण के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण नहीं हो सका । योजना के अंतर्गत पात्र शिल्पियों के प्रशिक्षण के प्रस्ताव मुख्यालय को प्राप्त न होने के कारण योजनांतर्गत धनराशि व्यय नहीं की जा सकी और योजनांतर्गत उपलब्ध धनराशि निगम के बचत/सावधि खाते में रखी गई है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजना की धनराशि योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देने हेतु प्राप्त हुई थी न की धनराशि निगम के बचत/सावधि खाते में रखने हेतु । इस हेतु विगत लेखापरीक्षा में भी धन के अवरोधन (parking of fund) संबन्धित आपत्ति उठाई जाने के बावजूद भी धनराशि रु 749.98 लाख का अवरोघन किया गया।

अत: शिल्पी ग्राम योजना में प्रशिक्षण कार्य न कर, प्राप्त धनराशि निगम के बचत/सावधि खाते में रखने व विगत तीन वर्षो से योजना का क्रियान्वयन पूरी तरह से निष्क्रिय रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग-दो 'ब'</u>

प्रस्तरः..3- वसूली धनराशि कार्यालय में जमा न करने के कारण ` 38687 का राजस्व क्षति।

निगम (UBVVN) के लेखा अभिलेखो की जांच में पाया कि जनपद नैनीताल मे कार्यरत श्री गोपाल राम आर्य, निवास स्थान भीमताल (जनपद नैनीताल) द्वारा +ऋण वसूली की गयी धनराशि को संबधित कार्यालय में ` 38687/-जमा नही की गयी जिसका विवरण निम्नवत है-

(वसूली रसीद सं-346)

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	योजना का नाम	दिनांक	रसीद सं.	धनराशि
1-	श्री पवन	श्री प्रेम	स्वतः रोजगार	16.02.10	52/346	400
2-	श्री ललित कुमार	श्री नन्दराम	स्वतः रोजगार	01.04.10	53/346	5000
3-	श्री पवन	श्री प्रेम	स्वतः रोजगार	14.04.10	54/346	400
4-	श्री प्रेमचन्द	श्री पानीराम	स्वतः रोजगार	28.04.10	56/346	300
5-	श्री प्रशांत	श्री रमेश	स्वतः रोजगार	06.05.10	58/346	3000
6-	श्री नन्दकिशोर	श्री लच्छीराम	स्वतः रोजगार	28.05.10	60/346	500
7-	श्री अशोक कुमार	श्री हीरालाल	स्वतः रोजगार	14.12.10	87/346	5000
8-	श्री भागीरथी	श्री हरीराम	स्वतः रोजगार	15.12.10	88/346	4000
9-	श्री लाजर सिंह	श्री जगनलाल	स्वतः रोजगार	26.03.10	93/8211	20087
					योग-	**` 38687**

लेखा अभिलेखो की जांच में आगे पाया कि रसीद सं. 93/8211 के द्वारा वसूल धनराशि ` 20087/-संबधित लाभार्थी के वसूली पंजीका में प्रविष्ट की गयी परंतु वसूल धनराशि ` 20087/कार्यालय में जमा नहीं की गयी। इस प्रकार, उक्त संबधित कर्मचारी द्वारा कुल वसूल धनराशि ` 38687/- कार्यालय में जमा नहीं कर शासकीय कर्तव्यों का निर्वाहन नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर निगम द्वारा बताया गया कि वसूली सहायक द्वारा अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को उल्लेख करते हुए धनराशि जमा न करना स्वीकार किया गया हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम द्वारा वसूली सहायक पर ना ही कोई कार्यवाही की गयी ना ही वसूली हेतु ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की गयी परिणामस्वरूप वसूल ` 38,687/- धनराशि को कार्यालय में जमा होने से निगम को प्रत्यक्ष राजस्व क्षति हुई।

इस प्रकार, वसूल धनराशि को जमा न करने के परिणामस्वरूप निगम को ` 38687/- राजस्व क्षति का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-4- धनराशि ` 11,36,621 का अपरिहार्य व्यय।

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय बारह, बजट के सापेक्ष वास्तविक की निगरानी और व्यय पर नियंत्रण, के प्रस्तर 92 (i व ii) एवं 93 के अनुसार, नियंत्रक/ संवितरण अधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व है:

- वित्तीय औचित्य के मानकों को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करे कि अपने नियंत्रण में रखी गई अनुदान का उपयोग उसी उदेश्य के लिए व्यय हो जिसके लिए प्राप्त हो,
- स्वयं और अपने अधीनस्थ के द्वारा सभी वित्तीय नियमों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करें,
- इसके अलावा, संवितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय करने के लिए प्रारंभिक शर्तों को संतुष्ट करता हो अर्थात् सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी मौजूद हो और व्यय की जाने वाली धनराशि उसके नियंत्रण में हो

प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाया गया कि निगम के पास चार वाहन (यूके07 वी 6263, यूके07 बीपी 2250, यूके 07 क्यू 1772 व यूके 07 जी 1364) है। जिसमें से वाहन यूके 07 बीपी 2250 दिनांक 30 नवंबर 2015 तथा यूके 07 जी 1364 जून 2016 से निष्प्रयोज्य है व शेष वाहन का उपयोग निगम द्वारा किया जा रहा है। इससे पूर्व निगम के पास दो और वाहन यूके 07 बी 7637 व यूके07 डी 5225 थे जो कि क्रमशः दिनांक 25.09.2012 व दिनांक 20.09.2011 को निष्प्रयोज्य हो चुके है। अक्टूबर 2012 से नवंबर 2015 तक निगम के पास मात्र तीन वाहन ही उपलब्ध थे व दिसंबर 2015 से निगम के पास चार वाहन उपलब्ध है। निगम में कार्यरत वाहन चालको कि सूची से ज्ञात होता है कि निगम में पाँच वाहन चालक कार्यरत है। जिसमें से दो (श्री उपेंद्र बिष्ट व श्री प्रेमराम) आउटसोर्स/ संविदा पर है। श्री उपेंद्र बिष्ट दिनांक 20.09.2010 से व श्री प्रेमराम दिनांक 25.08.2011 से निगम में कार्यरत हैं। इस प्रकार अक्टूबर 2012 से नवंबर 2015 तक निगम के पास मात्र तीन वाहन के लिए पाँच वाहन चालक व दिसंबर 2015 से नवंबर 2016 तक चार वाहन के लिए पाँच वाहन चालक उपलब्ध कार्यरत थे। निगम द्वारा श्री उपेंद्र बिष्ट वाहन चालक के वेतन भत्तो पर अक्टूबर 2012 से नवंबर 2015 ` 4,00,660 व श्री प्रेमराम वाहन चालक के वेतन भत्तो पर अक्टूबर 2012 से नवंबर 2016 ` 7,35,961 पर किए गए व्यय से बचा जा सकता था।

उक्त प्रकरण के संबंध में निगम ने अपने उत्तर में बताया कि निगम के अध्यक्ष हेतु एक वाहन चालक कम चतुर्थ श्रेणी के पद पर वाह्य स्रोत्र के माध्यम से नियुक्त किया गया है। निगम का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कार्यालय में पहले ही चतुर्थ कर्मचारी नियुक्त था व वाहन उपलब्ध न होने के कारण वाहन चालक नियुक्त करने का कोई औचित्य नही है।

अतः धनराशि ` 11,36,621 का अपरिहार्य व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-5: निगम के बाहर के अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराके ` 4,70,315 का नियमित भुगतान।

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय बारह, बजट के सापेक्ष वास्तविक की निगरानी और व्यय पर नियंत्रण, के प्रस्तर 92 (i व ii) एवं 93 के अनुसार, नियंत्रक/ संवितरण अधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व है:

- वित्तीय औचित्य के मानकों को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करे कि अपने नियंत्रण में रखी गई अनुदान का उपयोग उसी उदेश्य के लिए व्यय हो जिसके लिए प्राप्त हो,
- स्वयं और अपने अधीनस्थ के द्वारा सभी वित्तीय नियमों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करें,
- इसके अलावा, संवितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय करने के लिए प्रारंभिक शर्तों को संतुष्ट करता हो अर्थात् सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी मौजूद हो और व्यय की जाने वाली धनराशि उसके नियंत्रण में हो।

प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाया गया कि निगम के पास चार वाहन होने के बावजूद निगम के बाहर के अधिकारियों हेतु वाहनों को किराए पर लिया गया है बिना इस तथ्य को ध्यान में रखे हुए कि उन अधिकारियों को उनके स्वीकार्यता/ पात्रता के अनुसार राज्य संपत्ति विभाग या उनके कार्यालय द्वारा वाहन उपलब्ध कराये जाने चाहिए थे। निम्न तालिका के अनुसार निगम ने निगम के बाहर के अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराये व ` 470315 व्यय किया:

क्र॰सं॰	वर्ष	दिनांक	टैक्सी जिस अधिकारी हेतु किराए पर ली गई है	भुगतान धनराशि
1	2011-12	27.03.11 से 29.03.11	उपसचिव, समाज कल्याण	12736
2		03.09.11	उपसचिव, समाज कल्याण	5960
3	2012-13	24.07.12 से 26.07.12	सहायक निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग	6475
4		24-07-12 से 26-07-12	अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग	7185
5		26-07-12 से 27-07-12	अध्यक्ष व सहायक निदेशक, अनु जाति आयोग	12873
6	2013-14	22-04-13 से 13-05-13	मा॰ मंत्री, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड	37400
7		14-05-13 से 13-06-13		55800
8		06-07-13 से 31-07-13		44200
9		01-08-13 से 31-10-13		161400

10		20-03-2014	अनुभाग अधिकारी, सचिवालय	9450
11	2014-15	11/2013 से 02/2014	मा॰ मंत्री, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड	112836
12	2016-17	01-07-2016	उपसचिव	4000
	योग			**470315**

आगे यह भी पाया गया कि एक ही प्राइवेट वाहन [UK 08 V 4368 (Scorpio)] हेतु अलग अलग फ़र्म (मुस्कान टूर & ट्रैवेल्स व नावेद टूर & ट्रैवेल्स) को भुगतान किया गया।

उक्त संबंध में पुछे जाने पर निगम ने बताया कि निगम के हित में वाहन उपलब्ध कराये गए व बिल माननीय मंत्री जी के कार्यालय सत्यापित होने के कारण बिलों का भुगतान किया गया। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकी निगम के बाहर के अधिकारियों को उनके स्वीकार्यता/ पात्रता के अनुसार राज्य संपत्ति विभाग या उनके कार्यालय का उत्तरदायित्व है व उनको वाहन उपलब्ध करने से निगम के क्या हित हुआ इसका भी उल्लेख निगम द्वारा नहीं किया गया है एवं संवितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यय करने के लिए देयकों को प्रारंभिक शर्तों को संतुष्ट करना चाहिए।

अतः निगम के बाहर के अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराके ` 4,70,315 के अनियमित भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-6-निगम के उदासीन रवैये के कारण लाभार्थियों को बीमा धनराशि ` 22.20 लाख से वंचित रखना

पूर्व में शासनादेश वर्ष 2003 में संचालित बीमा योजना को अतिक्रमित करते हुए शासनादेश सं 1294/जन श्री बीमा योजना/2004-05, दिनांक: 11 जून 2004 के द्वारा उत्तरांचल राज्य के समस्त गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुखिया हेतु जन श्री बीमा योजना 17.01.04 से प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड में निवासरत गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के मुखिया को बीमित किया गया है। प्रीमियम धनराशि प्रति व्यक्ति ` 200/- रखा गया था । इसमे से 50 प्रतिशत (` 100/-) राज्य सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत (` 100/-) भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा निधि से वहन किए जाने का प्रावधान था यानि बीमित परिवार के मुखिया को कोई प्रीमियम नहीं देना था। इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की सामान्य मृत्यु पर उसके नामित को ` 30000/- की बीमा राशि देय होगी व दुर्घटना में मृत्यु पर ` 75000/- का भुगतान किया जाएगा। दुर्घटना में स्थायी अपंगता पर ` 75000/- व आंशिक अपंगता पर ` 37500/- का भुगतान किया जाएगा। योजना के सफल संचालन व क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को नोडल agency (राज्य स्तर पर) तथा मुख्य विकास अधिकारी के नियंत्रण में जिला समाज कल्याण अधिकारी को (जनपद स्तर पर) नोडल अधिकारी नामित किया गया था।

निगम की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीमा दावेदार द्वारा समय से दावा प्रपत्र प्रस्तुत किए जाने के बावजूद भी पूरी प्रक्रिया अपनाने में दावा कालातीत हो गया जिसके कारण योजना बीमा दावेदार को उक्त योजना के लाभ से वंचित किया गया। वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक 74* दावे निरस्त होने का कारण, दावे निर्धारित समय सीमा (एक वर्ष) के बाद प्रस्तुत किया जाना है। दावे कालातीत हो जाना निगम/ सरकारी कार्यालयो की उदासीनता का घोतक है, जिसके कारण धनराशि ` 22.20 लाख (74X30,000) से लाभार्थी वंचित रह गए।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर निगम ने स्पष्ट उत्तर न देते हुये बताया कि देरी से प्राप्त होने के कारण दावे निरस्त किए गए। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बीमा दावेदार द्वारा कालातीत होने के पूर्व ही बीमा धनराशि का दावा किया गया था।

अतः निगम की उदासीनता के कारण दावे कालातीत होने के कारण 74 परिवारों को ` 22.20 लाख के बीमा धनराशि से वंचित रखने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

* 74= 2011-12=14, 2012-13= 11, 2013-14= 15, 2014-15= 15, 2015-16= 19

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः विगत लेखापरीक्षा के प्रस्तरों की आख्या**

2 सतत् अनियमितताएः ---------- शून्य ----------

3 लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
(i)	श्री एस राजू	प्रबंध निदेशक
(ii)	श्री सुबर्धन	प्रबंध निदेशक
(iii)	श्री एम एच खान	प्रबंध निदेशक
(iv)	श्री ए राजू	प्रबंध निदेशक
(v)	श्री नितीश कुमार	प्रबंध निदेशक
(vi)	श्री सुशील कुमार	प्रबंध निदेशक
(vii)	श्री किशन नाथ	प्रबंध निदेशक
(viii)	श्री रमेश चंद्र लोहानी	प्रबंध निदेशक
(ix)	सुश्री ज्योति नीरज खैरवाल	प्रबंध निदेशक
(x)	श्री हरि चन्द्र सेंवाल	प्रबंध निदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)